के बाद जब अश्वमेघ यज्ञ का अश्व न मिला तो सगर के महाबली पुत्रो ने एक–एक योजन भूमि का बाँटवारा कर अपने बलिष्ट भुजाओ के द्वारा इसे खोदना आरम्भ किया। उनकी भुजाओ का स्पर्श वज्र के स्पर्श की भाँति दुःसह था। पृथ्वी के इस मोटी परत को तोड़कर पाताल लोक जाने हेतु संकल्पित राजकुमारों के हाथो से वज्र तुल्य सूढ़ और अत्यन्त दारुण हलो द्वारा सब ओर से विदीर्ण की जाती हुई वसुधा आर्तनाद करने लगी–

शूलैरशनि कल्पैश्च हलैश्चाति सुदारूण रूै।
भिद्यमाना वसुमती ननाद रघुनन्दनः। ।[3]

इस पृथ्वी ध्वंस के क्रम में राजकुमारों द्वारा मारे जाते हुए नागो, असुरो, राक्षसों तथा दूसरे प्राणियों के आर्तनाद से वातावरण परिव्याप्त हो गया। इस प्रकार सगरपुत्रों ने साठ हजार योजन भूमि खोद डाला।

क्रुद्ध विश्वामित्र को देखकर देवताओ के मन में भी भय समा गया। महान भय से जिसप्रकार देवगण काँप उठे उसी प्रकार सम्पूर्ण पृथ्वी भी काँपने लगी। भगवन राम के वन गमन के समय अयोध्यापुरी भय और शोक से प्रज्ज्वलित होकर उसी प्रकार काँपने लगी जैसे देवराज इंद्र से रहित मेरु पर्वत सहित पृथ्वी डगमगाने लगती है।

वाल्मीकि रामायण–

ततस्त्वयोध्या रहिता महात्मना, पुन्नदरेणेव मही सपर्वता ।
चचाल घोरं भयशोकदीपिता, सनागयोधाश्वगणा ननाद च।।[4]

पृथ्वी के इस प्रकार विदीर्ण होने से व्याकुल प्राणीजाति की दुर्दशा का हृदयंगम कर ब्रह्मा ने कहा –पृथ्वी का यह भेदन सनातन है। प्रत्येक कल्प में "श्रुति "स्मृतियों में आये वृतान्त से ये बाते स्पष्ट है। फिर पृथ्वी के साथ इस निर्ममता पूर्ण व्यवहार का भविष्य सगरपुत्रों का विनाश स्वयं सिद्ध है।

पृथ्वी को विष्णुपत्नि के रूप में चित्रित किया गया है। राजा विष्णु के अवतार कहे जाते है। अतः उन्हें भी भूपति की संज्ञा दी जाती है। विदेशी शत्रुओ से राष्ट्रभूमि की सीमा की रक्षा करना पृथ्वी को नष्ट करने वाले विधायक तत्वों को दण्ड देकर नियंत्रित करना तथा कृषि योग्य भूमि बनाने में उसे संचित करने में किसानो की सहायता करना राजा का सर्वोच्य अधिकार एवं प्रथम कर्तव्य है। हमें भी इस मातृस्वरूप धरती माँ की रक्षा करना चाहिए।

सन्दर्भ–सूची

1. अमरकोष–भूमिवर्ग – 560–63
2. नित्यकर्मपद्धति–भूमि प्रार्थना ,पृष्ठ सं0 – 02
3. वाल्मीकि रामायण–बालकाण्ड सर्ग – 39 ,श्लोक – 11
4. वाल्मीकि रामायण–.अयोध्याकाण्ड सर्ग दृ 41 ,श्लोक दृ 21

महिला हिंसा एक समस्या एवं समाधान : एक विश्लेषण

डॉ. राजेश कुमार*

सारांश

यह लेख महिला हिंसा पर आधारित है। इसके अन्तर्गत हिंसा एवं महिला हिंसा के अर्थ को समझाते हुए महिला के वैदिक, उत्तर वैदिक एवं आधुनिक युग की परिस्थितियों के सम्बन्ध में भी चर्चा की गयी है, साथ ही साथ महिला हिंसा के स्वरूप, कारणों एवं इसके विद्वेषपूर्ण सोच पर चर्चा करते हुए महिला अधिनियम को भी उल्लेखित किया गया है। परिणाम यह है कि महिला हिंसा में सुधार हेतु शिक्षा, रोजगार एवं सभी क्षेत्रों में उसकी भागीदारी अनिवार्य है। लेकिन अविकसित एवं विकासशील देश में जहाँ शिक्षा एवं गरीबी अपने निम्नतम स्तर पर है वहाँ महिला हिंसा की अधिकता भी है।

परिचय

हिंसा एक सार्वदेशिक और सार्वकालिक अवधारणा है। वर्तमान युग में इसका विविध रूपों में विस्तार हुआ है। इनमें महिला हिंसा भी एक प्रमुख प्रकार है। मात्रात्मक अंतर के बावजूद महिलाओं के प्रति हिंसा विश्व में सर्वत्र विद्यमान है। लेकिन अविकसित एवं विकासशील देशों में जहाँ शिक्षा एवं गरीबी अपने निम्नतम स्तर पर है वहाँ महिला हिंसा अपने चरम पर है।

हिंसा का अर्थ : प्रचलित अर्थ में किसी भी व्यक्ति व प्राणी मात्र के प्रति बल प्रयोग, मारपीट, शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना पहुंचाने को हम हिंसा का नाम देते हैं। सूक्ष्म अर्थ में प्राणी मात्र को जाने–अनजाने, मनसा, वाचा, कर्मणा आदि से कोई कष्ट पहुंचाता है तो वह हिंसा की श्रेणी में आता है।

महिला हिंसा : दुनिया के हर देश में मात्रात्मक अंतर के बावजूद महिलाओं के प्रति हिंसा विभिन्न रूपों में विद्यमान है। मेक्सिको में 95 प्रतिशत महिला श्रमिकों का यौन उत्पीड़न झेलना पड़ता है, पाकिस्तान में 99 प्रतिशत गृहणियाँ अपने पतियों द्वारा पीटी जाती हैं। कनाड़ा की हर चौथी महिला जीवन में एक बार शारीरिक रूप से प्रताड़ित होती है। फिलीपींस में सेना द्वारा हिरासत में ली जाने वाली महिलाओं में से 50 प्रतिशत को निर्वस्त्र किया जाता है। अमरीका के 67 प्रतिशत दंपतियों के बीच हिंसक घटनाएँ होती हैं। अमरीका जैसे विकसित देश

***असिस्टेंट प्रोफेसर, बी.एम.ए. कॉलेज, एल.एन.एम.यू., दरभंगा**

में प्रति वर्ष डेढ़ लाख से अधिक बलात्कार होते हैं। विश्व की एक चौथाई महिलाएं आज शारीरिक हिंसा की शिकार हैं। 1945 से आज तक विभिन्न देशों में 2 करोड़ मृतकों में 90 प्रतिशत असैनिक आबादी है इनमें 70 प्रतिशत महिलाएं और बच्चे हैं।

भारत में महिला हिंसा : भारत में महिलाओं के प्रति हिंसा सामान्य है इसे हमें ऐतिहासिक संदर्भ में देखना होगा। भारत का इतिहास मुख्य रूप से वैदिक, मध्य और आधुनिक काल में विभाजित है।

वैदिक युगीन आदर्श महिलाओं को उच्च सामाजिक स्थिति एवं ही प्रदान नहीं करते वरन उन्हें दैवीय गरिमा प्रदान करते हैं। वैदिक युग में महिलाओं की स्थिति का आदर्श था। "यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता" अर्थात् जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं भारतीय समाज के सभी आदर्श स्त्रियों में देखे गये हैं। धन का आदर्श लक्ष्मी में, पराक्रम का दुर्गा में, विद्या का सरस्वती में, यहां तक की सर्वशक्तिमान भगवान को ही जगत जननी अर्थात् नारी रूप में ही देखा गया है।

उत्तर वैदिक युग में महिलाओं की स्थिति बदलने लगी और मध्य युग स्त्रियों के लिए गहन अंधकार लेकर आया। स्त्री होने का मतलब यह लगाया गया कि जिसके पास कोई अस्त्र न हो, पुरुषार्थ न हो, निहत्थी स्त्री हजारों वर्षों तक पुरुषों के अत्याचार व अनाचार सहती रही। पति के मरते ही गृहलक्ष्मी कुलटा बन जाती है। जिस बेटे क सहारे वे वैधव्य गुजारती है। अफसोस की उसी बेटे की बहू का वह विधवा माता मंगलोच्चारण के साथ स्वागत भी नहीं कर सकती है। मध्य युग में हिंसा की शिकार केवल विधवा औरतें ही नहीं बल्कि परित्यक्ताएं व तलाकशुदा महिलाएं भी बनीं।[1]

आधुनिक युग में : स्त्रियों के प्रति हिंसा का यह क्रम आज भी विद्यमान है एक समय की लक्ष्मी भगवान के आगे दिया जलाकर प्रार्थना करती है कि हे भगवान मुझे लक्ष्मी मत देना क्योंकि उसका जन्म मनहूस माना जाएगा और उसी के समान ससुराल के यातना और ताने झेलने होंगे। मध्य युग में जिस प्रकार पुत्री को जिंदा जला दिया या नदी में बहा दिया जाता था आज यही काम जीवन देने वाले डाक्टर मां की कोख में उसकी भ्रूण हत्या कर, कर रहे हैं।

ग्लिम्पसेज ऑफ गर्ल्स हुड इंडिया (1994) की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर वर्ष एक वर्ष से कम उम्र की 3 लाख लड़कियां मौत का शिकार होती हैं। भारत की हर छठी लड़की की मौत उपेक्षा के कारण होती है।[2] मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं के प्रति हिंसा और अपराध की स्थिति इस प्रकार है "भारत में हर 26 मिनट में किसी न किसी स्त्री के साथ छेड़छाड़ होती है हर 43 मिनट में एक स्त्री का अपहरण और हर 54 मिनट

में एक बलात्कार, हर 102 मिनट में एक दहेज हत्या और 7वें मिनट में किसी न किसी महिला के प्रति हिंसा होती है।"[3]

1995 तक नारी उत्पीड़न और उनके प्रति हिंसा के मामलों में मध्य प्रदेश का स्थान देश में पहले क्रम पर था। कमोबेश मध्यप्रदेश में आज भी यही स्थिति बनी हुई है।

सम्पूर्ण भारत में महिला हिंसा के प्रति 2008 में 195,856, 2009 में 203,804, 2010 में 213,585, 2011 में 213,585 एवं 2012 में 244,270 केस थानों में दर्ज किये गये।[4]

महिलाओं के प्रति हिंसा के स्वरूप : राम आहूजा ने भारत में महिलाओं के प्रति हिंसा के स्वरूप, कारणों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया है।

अहिंसा के स्वरूप महिलाओं के प्रति भारत में हिंसा के निम्न स्वरूप प्रचलित हैं :

1. आपराधिक– जैसे बलात्कार, हत्या, अपहरण, लूट आदि।
2. घरेलू हिंसा– दहेज प्रताड़ना, दहेज हत्या, पत्नी को पीटना, लैंगिक दुर्व्यवहार, विधवाओं परित्यक्ताओं, तलाकशुदा महिला और वृद्ध महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और उन्हें मानसिक प्रताड़ना पहुंचाना।
3. सामाजिक हिंसा– कन्या भ्रूण हत्या, छेड़छाड़, महिलाओं को सती होने के लिए बाध्य करना आदि।[5]

महिला के प्रति हिंसा के कारण

1. पीड़ित द्वारा भड़काऊ ब्यान : यद्यपि किसी भी महिला के प्रति हिंसा निंदनीय है परंतु कभी–कभी पुरुषों के द्वारा महिलाओं के प्रति हिंसा का कारण स्वयं महिलाओं का व्यवहार होता है जो उन्हें हिंसा करने के लिए प्रेरित करता है। हिंसा की शिकार महिलाएं जाने–अनजाने में अपने द्वारा किये गये व्यवहार से ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न कर देती हैं जो पुरुषों को हिंसा के लिए बाध्य करती हैं। जैसे महिलाओं द्वारा पीठ पीछे अपने पतियों की बुराई करना, पारिवारिक कार्यों को संपन्न नहीं करना, पति और अपने ससुराल वालों के प्रति अभद्र व्यवहार करना, अन्य व्यक्तियों से अवैध संबंध रखना आदि।

2. मद्यपान : हिंसा के अधिकांश प्रकरण उस समय घटित होते हैं जब व्यक्ति नशे में होते हैं पुरुष नशे की अति उत्तेजना की स्थिति में अपने व्यवहार की प्रकृति के परिणाम को समझ नहीं पाते तो महिलाओं के प्रति हिंसक व्यवहार करते हैं। अधिकांश बलात्कार मद्य सेवन की स्थिति में होते हैं। राम आहूजा ने अपने अध्ययन में 31.7 प्रतिशत हिंसा के प्रकरणों में पाया कि मद्यपान और पत्नियों की पिटाई साथ–साथ चलती है। हिल्वर मेन व मनसब ने 93 प्रतिशत हिंसा के प्रकरणों

में मद्यपान को उत्तरदायी पाया। जबकि वुल्फ गैंग ने अपने अध्ययनों में 67 प्रतिशत प्रकरणों में मद्यपान का तथा हिनिक्कल वर्ग ने 71 प्रतिशत प्रकरणों में पाया।

3. पारिस्थितिक प्रेरणा : विभिन्न परिस्थितियां महिलाओं के प्रति हिंसा को घटित करती हैं। विशेषकर पारिवारिक हिंसा के कारणों में परिस्थितियां ही उत्तरदायी होती हैं। परिवार और समाज में कभी–कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जो व्यक्ति को हिंसक व्यवहार के लिए प्रेरित करती है जैसे विरोधाभास झगड़ा, प्राकृतिक आपदाएं आदि।

4. महिलाओं के प्रति विद्वेष : कुछ व्यक्तियों के विभिन्न कारणों से महिलाओं के प्रति विद्वेष भाव होता है और इस कारण वे महिलाओं के प्रति हिंसक व्यवहार करते हैं। इसके पीछे मनोवैज्ञानिक तथा वंशानुगत कारण भी उत्तरदायी होते हैं। इनमें व्यक्तियों का व्यवहार अत्यधिक क्रूर और हिंसक हो जाता है।

उपरोक्त कारणों के अतिरिक्त भी निम्नलिखित कारण महिलाओं के प्रति हिंसा को जन्म देते हैं :

कानून के प्रति महिलाओं व समाज की अनभिज्ञता, कानूनों की कमी और उपलब्ध कानूनों के क्रियान्वयन का अभाव, अशिक्षा, दूषित और अनैतिक सामाजिक परिवेश जो वर्तमान में महिला हिंसा के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं और इस परिवेश को दूषित करने में आधुनिक सभ्यता, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मुख्य रूप से उत्तरदायी है। वर्तमान समय में भौतिक आकर्षण, समाज में दहेज की लालसा और प्रकारान्तर से दहेज हिंसा व दहेज हत्या को बढ़ावा दे रहे हैं। दहेज प्रताड़ित महिलाओं में बहुतायत से छोटे व्यापारी कृषक और मजदूर होते हैं। यहाँ तक कि विवाह को भी व्यापारिक संदर्भ में देखा जाता है।

रामविलास शर्मा के अनुसार "हमारे यहां पूंजीवाद तो सिर उठा रहा है लेकिन सामंती ढांचा अभी पूरती तरह टूटा नहीं है आर्थिक स्तर पर दोनों का गठबंधन है। पूंजीवाद व सामंतवाद के इस मेल के कारण महिलाओं के विरुद्ध अधिक हिंसा हो रही है।"[6]

महिलाओं के प्रति हिंसा उन्मूलन के उपाय : महिला हिंसा एक गंभीर सामाजिक समस्या है और इसका उन्मूलन किये बिना समग्र सामाजिक विकास असंभव है। राम आहूजा के अनुसार, "स्त्रियों की सामान्य प्रतिष्ठा शिक्षा प्रभावी वैधानिक उपाय और उनके क्रियान्वयन तथा रोजगार के अवसर को बढ़ाकर सुधारी जा सकती है।"[7]

हिंसा की शिकार महिलाओं को सस्ती व सुलभ न्याय प्रणाली उपलब्ध कराई जाए और इसमें भी अधिकांश न्यायकर्मी महिलाएं हों तो उन्हें हिंसा से मुक्ति मिल सकती है। समाज द्वारा हिंसा की शिकार महिलाओं को सम्मानजनक आश्रय

की भी दरकार है। कई महिलाएं इसलिए प्रताड़ना और हिंसा की शिकार होती रहती हैं कि विकल्प उपलब्ध नहीं होता इसी प्रकार माता–पिता को भी सामाजिक दायरे से बाहर निकलकर हिंसा की शिकार अपनी पुत्रियों को अपने परिवार में जगह देनी चाहिए।

समाज में बेशक स्त्रियों को स्वतंत्रता व समानता का अधिकार मिलना चाहिए लेकिन इससे पूर्व स्त्रियां अपनी नैसर्गिक प्रतिभा को पहचानें और कानूनों की बात उठाने के पहले समाज में अपने अन्तःकरण की बात उठाएं आधुनिकता के नाम पर वे सभी परंपराओं का त्याग नहीं करें।

किरण बेदी (नई दुनिया 22.11.95) : "हिंसा मूलतः दृष्टिकोण या नजरिए की उपज है इस समस्या के उन्मूलन को एक क्रांति की तरह समाज को लेना चाहिए और इसके लिए जरूरी है कि पुरुष समाज अपना नजरिया बदले तथा घर व बाहर स्त्रियों को समान रूप से सम्मान प्रदान करे।"[8]

महिला हिंसा के उन्मूलन में जिस चीज की सबसे अधिक आवश्यकता है वह है आश्रय अर्थात् जो महिलाएं तानाशाह, सास–ससुर व समाज व शराबी पतियों की हिंसा का शिकार होती हैं। उन्हें या तो परिवार आश्रय प्रदान करें या समाज सेवी संस्थाएं उनके लिए सम्मानजनक आश्रय स्थल उपलब्ध कराए जो यौन, दुराचार, बलात्कार और भगा ले जाने की शिकार होती हैं उन्हें भी नारी गृहों में सम्मानजनक जगह दी जाए और इन्हें उचित परामर्श व विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाए।

घरेलू हिंसा–महिला संरक्षण अधिनियम–2005

यह अधिनियम सम्पूर्ण भारत में 26 अक्टूबर 2006 से प्रभावशील है। इस अधिनियम का यदि समाज में सही क्रियान्वयन हो तो यह महिलाओं को हिंसा से मुक्ति दिला सकता है क्योंकि इस कानून का दायरा बहुत अधिक विस्तृत है। इसका विस्तार परिवार से कार्यालयों तक है यह कानून महिलाओं को अनाचार और अत्याचारों से भी मुक्ति दिला सकता है। इस कानून में ही संबंधित आवेदन पत्र का प्रारूप में संरक्षण अधिकारी उसके दायित्व और पुलिस की भूमिका का वर्णन है। कौन–कौन से कार्य महिला हिंसा की श्रेणी में आते हैं उनका भी उल्लेख है। इसमें महिलाओं के साथ शारीरिक प्रताड़ना और मारपीट ही नहीं, उनकी निंदा करना, मजाक उड़ाना, उन्हं शिक्षा प्राप्त करने से रोकना और भावनात्मक उत्पीड़न को भी दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया है।

रमणीका गुप्ता : (स्त्री जागेगी तभी बात बनेगी दैनिक भास्कर 30.06.2006) "हमारे समाज की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि स्त्रियों पर घरेलू हिंसा सबसे ज्यादा वही लोग करते हैं जो उनके सबसे ज्यादा नजदीक होते हैं दरअसल परिवार